न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 19/2023

(अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार नसीराबादद्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1679 दिनांक 04.01.2023)

पप्पू पुत्र नाथू जाति तेली मुसलमान निवासी ग्राम भटियानी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर

.....*अपीलान्ट*

बनाम

1. सद्दीक पुत्री सेखा
2. सकूर पुत्र पीरू
3. अलवर पुत्री सेखा
   —समस्त जाति तेली मुसलमान निवासी ग्राम भटियानी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित :—1.श्री राकेश अरोड़ा, श्री हसन खान, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री गौतमचन्द टांक, रेस्पोडेन्ट सं 2 व 3 की ओर से।
3. राजकीय अभिभाषकश्री ओमप्रकाश गुर्जर

—: आदेश :—

दिनांक :— 10.09.2025

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है किग्राम भटियानी तहसील नसीराबाद स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर 2878, 697, 702, 702/3812, 703, 706/3656, 707, 707/3814, 708, 709, 713, 714, 718/3797, 723, 723/3494, 724, 727 पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/2—1/2 हिस्सा जरिये विक्रयपत्र निहित है एवं विवादित आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के समक्ष विभाजन व अस्थायी निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21.12.2022 को अपीलान्ट के अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र को निरस्त करने के आदेश प्रदान किये गये जिसके विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष अपील संख्या 421/2022 विचाराधीन है। उक्त अपील में दिनांक 11.01.2023 को विवादित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये, जिसकी प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उपलब्ध करा दी गयी थी। उक्त अपील के विचाराधीन रहते व स्थगन आदेश के प्रभावी रहते हुए भी रेस्पों0 सं 1 ने अपने निहित हिस्से का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र रेस्पो0 सं 2 को किया गया जिसका अंकन जमाबन्दी संवत 2073

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

से 2076 में होकर जमाबन्दी की प्रति दिनांक 28.12.2022, 05.01.2023, 16.01.2023, 25.01.2023 व 27.01.2023 में नामान्तरकरण प्रक्रियाधीन होने का अंकन किया हुआ है परन्तु रेस्पो0 सं 2 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर आक्षेपीय नामान्तरकरण संख्या 1679 बैकडेट में दिनांक 04.01.2023 को तस्दीक करवाया गया है। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार नसीराबाद द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण दिनांक 04.01.2023 से व्यथित होकर उक्त अपील प्रस्तुत की है।

अपीलान्ट ने अपील के साथ स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ताफैसला अपील आक्षेपीय नामान्तरकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण को आराजीयात रहन, बय व मुन्तकिल नहीं किये जाने बाबत पाबन्द किया जावे।वकील रेस्पोडेन्ट सं 2 व 3 ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रकरण में आक्षेपीय नामान्तरकरण दिनांक 04.01.2023 को स्वीकृत किया गया है जबकि माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा स्थगत आदेश दिनांक 11.01.2023 को दिया है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के वांछित रिकॉर्ड के अवलोकन किये बिना व रेस्पोडेन्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना विवादित आराजी/प्रकरण बाबत स्थगन आदेश दिया जाना न्यायोचित नहीं होने के कारण वकील अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र को निरस्त किया गया।

अपील पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व रेस्पोन्डेन्ट्स के नाम नोटिस जारी किये गये। तारीख पेशी दिनांक 23.05.2024 को वकील अपीलान्ट/प्रार्थी के उपस्थित नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज की गयी।

वकील अपीलान्ट द्वारा बाजदायरी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अन्य न्यायिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण तत्समय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थनापत्र पुनः नम्बर पर लिया जावे।प्रार्थनापत्र व रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया जाकर प्रार्थनापत्र में निवेदित किये गये तथ्यों तथा वक्त सुनवाई व्यक्त किये गये कथनों/तथ्यों पर मनन पश्चात न्यायहित में बाजदायरी प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया।तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी।वकील अपीलान्ट्स ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नसीराबाद द्वारा समस्त वास्तविक तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए विधिक प्रक्रिया व न्यायिक प्रक्रिया का हनन करते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है।

उनका कथन है कि ग्राम भटियानी तहसील नसीराबाद की विवदित आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा दिनांक 21.12.2022 को अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपीलान्ट के अस्थायी निषेद्याज्ञा के प्रार्थनापत्र को निरस्त करने के आदेश प्रदान किये गये जिसके विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष अपील संख्या 421/2022 विचाराधीन है। उक्त अपील में दिनांक 11.01.2023 को विवादित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये, जिसकी प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उपलब्ध करा दी गयी थी। उक्त अपील के विचाराधीन रहते व स्थगन आदेश के

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर
सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

प्रभावी रहते हुए भी रेस्पों0 सं 1 ने अपने निहित हिस्से का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र रेस्पो0 सं 2 को किया गया जिसका अंकन जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 में होकर जमाबन्दी की प्रति दिनांक 28.12.2022, 05.01.2023, 16.01.2023, 25.01.2023 व 27.01.2023 में नामान्तरकरण प्रक्रियाधीन होने का अंकन किया हुआ है परन्तु रेस्पो0 सं 2 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर आक्षेपीय नामान्तरकरण संख्या 1679 बैकडेट में दिनांक 04.01.2023 को तस्दीक करवाया गया है। दिनांक 24.021.2023 को अपीलान्ट ने एक आवेदन तहसीलदार नसीराबाद के समक्ष पेश किया जाकर जमाबन्दी में अंकित प्रक्रियाधीन का नोट हटाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा उक्त आवेदनपत्र की प्रति पटवारी हल्का को प्रेषित कर स्थगन आदेश की प्रति प्राप्त होने का अंकन करते हुए स्थगन आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है किन्तु इसके उपरान्त भी आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर वकील अपीलान्ट ने विचाराधीन अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार नसीराबाद द्वारा स्वीकृत आक्षेपीय नामान्तरकरण को निरस्त करने का निवेदन किया।

वकील अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा व्यक्त कथनों का विरोध करते हुए वकील रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय नामान्तरकरण नियमानुसार जाँच पश्चात पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 30.12.2022 तथा भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 03.01.2023 के अनुसार पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है। उन्होने यह भी कथन किया कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 11.01.2023 को जारी किया गया जबकि विचाराधीन नामान्तरकरण दिनांक 04.01.2023 को ही स्वीकृत हो चुका है। अतः वकील अपीलान्ट/प्रार्थी का यह कथन स्थगन आदेश के प्रभावी रहते हुए तहसीलदार नसीराबाद द्वारा नामान्तकरण स्वीकार किया गया, निराधार है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा अपीलान्ट के प्रार्थनापत्र पर निर्देश अंकित कर पटवारी हल्का को अग्रेषित किया जाना एक प्रशासनिक कार्यवाही है, न कि नामान्तरकरण की प्रक्रिया का भाग है। अतः उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर विचाराधीन अपील को निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया तथा लिखित बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम भटियानी तहसील नसीराबाद स्थित प्रश्नगत भूमि कुल किता 17 कुल रकबा 13.4500है0 के विभाजन बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा पारित दिये गये आदेश दिनांक 21.12.2022 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर में अपील विचाराधीन रहते हुए तथा माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.01.2023 को प्रश्नगत आराजी के रहन, वय व मुन्नकिल नहीं करने एवं राजस्व रिकॉर्ड और मौके की यथास्थिति बनाये रखने के स्थगन आदेश के बावजूद दिनांक 04.01.2023 को नामा. सं 1679 बेचान स्वीकृत करते हुए सकूर पुत्र पीरू के पक्ष में नामा0 खोला गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से भी स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी में दिनांक 27.01.2023 तक नामान्तरकरण प्रक्रियाधीन होना अंकित किया गया है। इस प्रकार ऑनलाइन जमाबन्दी में दिनांक 27.01.2023 तक आक्षेपीय नामान्तरकरण प्रक्रियाधीन होने तथा

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिया गया स्थगन आदेश प्रभावी होने के बावजूद तहसीलदार नसीराबाद द्वारा बैक डेट में नामान्तरकरण स्वीकृत किया जो कि विधिक प्रावधानों के विपरीत व माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 11.01.2023 की अवहेलना भी है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नसीराबाद द्वारा स्वीकृत आक्षेपीय नामान्तरकरण संख्या 1679 दिनांक 04.01.2023 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार नसीराबाद को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में विचाराधीन अपील संख्या 421/2022 उनवान पप्पू पुत्र नाथू बनाम अलवर पुत्री सेखा व अन्य के निर्णय होने पर, प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में सभी पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए प्रश्नगत आराजी के नामान्तरकरण बाबत नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करे।

आदेश आज दिनांक **10.09.2025**को मेरे द्वारा सरे इलियाज सुनाया गया। आदेश की एक प्रति तहसीलदार नसीराबाद जिला अजमेर को आदेश में वर्णित निर्देशों की पालनार्थ भिजवायी जावे।

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर
अजमेर

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
अजमेर